उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-34/2024/849/एक-1-2024-1-1099/130/2023

लखनऊः दिनांकः 25 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

दि हाउस ऑफ अभिनन्दन लोढ़ा ग्रुप द्वारा जनपद मथुरा में आवासीय योजना में निवेश हेतु इन्वेस्ट यूपी, उ0प्र0 सरकार से दिनांक 08.01.2024 को किये गये एम0ओ0यू0, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-43/भूमि0अधि0सहा0/2024, दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 तत्संलग्न जिलाधिकारी, मथुरा के पत्र संख्या-170/सात-बी/भू0 व्य0/2024, दिनांक 19 सितम्बर, 2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अभिमत के दृष्टिगत उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89(4) में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, दि हाउस ऑफ अभिनन्दन लोढ़ा ग्रुप की सहायक कम्पनी इम्पैक्टम लैण्डस प्रा0लि0, ए-6, माधव कुटीर, चन्द्रोदय मंदिर, अक्षय पात्र फाउंडेशन, तहसील सदर, मथुरा को जनपद मथुरा के ग्राम जुल्हैंदी रकवा 35.1190 हे0 व ग्राम कोन्हई रकवा 4.5350 है० अर्थात कुल रकवा 39.6540 हे0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1). आवासीय योजना की स्थापना हेतु भूमि का संक्रमण संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार भूमिधरों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किया जायेगा। यह आदेश किसी भी भूमिधर को उसकी भूमि के विक्रय हेतु बाध्य नहीं करता है।

(2). संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात् आवासीय योजना की स्थापना हेतु किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(3). अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा-98 में विहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा। जिलाधिकारी मथुरा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्था असंक्रमणीय श्रेणी के भूमिधरों की भूमि का कदापि क्रय न कर सके। साथ ही यदि यह भी सुनिश्चित किया जाये कि क्रय किये जाने वाला गाटा से संबंधित कोई वाद किसी मा0 न्यायालय में विचाराधीन न हो।

(4). जिलाधिकारी मथुरा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि चूंकि प्रश्नगत योजना हेतु चिन्हित भूमि मथुरा-वृंदावन महायोजना, 2031 से आच्छादित है, जिसका भू-उपयोग कृषि है, अतः प्रश्नगत संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियमों के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(5). संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि के मध्य स्थित ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधन में निहित भूमि का नियमानुसार पुनर्ग्रहण/विनिमय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6). संस्था द्वारा संहिता की धारा-89 उपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक-05 वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू होंगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तद्रिमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात् अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(7). उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हे0 से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

(8). जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9). उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,
(पी0 गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
(5) जिलाधिकारी, मथुरा।
(6) श्री जिग्नेश नरेन्द्र गोसलिया, प्राधिकृत हस्ताक्षरी, इम्पैक्टम लैण्ड्स प्रा0लिं0, ए-6, माधव कुटीर, चन्द्रोदय मंदिर, अक्षय पात्र फाउंडेशन, तहसील सदर, मथुरा पिन-281121
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in